श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

पोमेछा / 2022–23 / 780 दिनांक 07 / 12 / 2022

सूचना

विषय :– वर्ष 2022–23 के लेटर एन्ट्री के माध्यम से प्रवेशित विद्यार्थियो का मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थि योजना के आवेदन के संबंध में।

मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग, मंत्रालय को संशोधित आदेश क्रमांक एफ5–6/2017/42 –1 दिनांक 23/09/2022 के अंतर्गत लेटर एन्ट्री के माध्यम से प्रवेशीत विद्यार्थियो की "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" हेतु वर्ष 2022–23 के लिये प्रावधनो एवं प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी की जानकारी निम्नानुसार है :–

पात्रता की शर्ते :–	1) विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो। 2) आय सीमा नवीन विद्यार्थियो हेतु वार्षिक परिवारिक आय राशि रु 6 लाख तक। 3) विद्यार्थियो द्वारा लेटर एन्ट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग/फार्मेसी पाठयक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रदेश के केन्द्रीयकृत कॉमन मेरिट सुची में प्रथम 15 प्रतिशत में स्थान प्राप्त किया हो। 3) सत्र 2022–23 में लेटर एन्ट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग/फार्मेसी में प्रवेशित विद्यार्थियो हेतु :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10/12वी की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक एवं सी.बी.एस.ई/आई.सी.एस.ई द्वारा आयोजित 10/12 वी की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रो को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
आवेदन प्रकिया एंव दस्तावेज	इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये विद्यार्थियो को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति पार्टल **www.scholarshiportal.mp.nic.in** पर अपना रजिस्ट्रेशन कर उसके पश्चात ऑन–लाईन आवेदन कर व समस्त दस्तावेज अपलोड कर उसका प्रिन्ट आउट निकालकर निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर लेखा विभाग (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति) में जमा करेः– 1) मूल निवासी प्रमाण पत्र 2) केन्द्रीयकृत कॉमन मेरिट सुची/स्कोर कार्ड 3) आय प्रमाण पत्र (शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जिसमें समस्त प्रकार के वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो अथवा वर्ष 2021–22 का नियोक्ता द्वारा जारी फार्म 16 ए। अगर माता पिता दोनो कार्यरत हे तो दोनो का अलग–अलग फार्म 16 ए एव इस आधार पर तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रामण पत्र। 4) 10/12 वी की अंकसुची कि प्रतिलिपि 5) प्रवेश पत्र एवं चालान कि प्रतिलिपि 6) अलॉटमेन्ट (लेटर) पत्र 7) बैंक पास बुक की प्रतिलिपी 8) आधार कार्ड व समर्ग आई.डी की प्रतिलिपि 9) मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजन के ओवदन कि चेक लिस्ट 10) फार्म न 06 (बैंक खाता आधार कार्ड व एमपीसीआई से लिंक हेतु) 11) अगर विद्यार्थी संस्थान के होस्टल में रहता है तो छात्रावास वार्डन का प्रमाण पत्र 12) आवेदन पर आवेदक व उसके पालक के हस्ताक्षर।

3) इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रो को प्रवेशित संस्था में नियमानुसार विषय तथा पाठयक्रम को समय–सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।

4) वह विद्यार्थी (नवीन/नवीनीकरण) जो उपरोक्त प्रावधानो को पूर्ण करते है व मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थि योजना (छात्रवृत्ति) का लाभ लेना चाहते है को सूचित किया जाता है कि वह समस्त दस्तावेजो सहित अपना आवेदन दिनांक 22/12/2022 तक लेखा (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति) विभाग में जमा करें।

5) वह विद्यार्थी जो आवेदन ऑन–लाईन भरने के पश्चात आवेदन संस्थान में जमा नहि करता है तो उस विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त नही होगी जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

6) इस संबंध में शासन के आदेश संशोधित होने पर लागू किये जावेगें। (छात्रवृत्ति आवेदन में भरी जानेवाले वार्षिक शुल्क के विवरण की जानकारी संलग्न है।)

Director
Shri G. S. Institute of Technology & Science, INDORE

प्रतिलिपिः–

1) समस्त नोटीस बोर्ड 2)संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(अधिक जानकारी हेतु कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 से 1.30 व 2.30 से 4.00 तक दुरभाष क्र. 0731–2582134 पर काल करें।)